भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2790

(दिनांक 17.12.2025 को उत्तर देने के लिए)

अश्लील सामग्री का प्रसारण

2790. डॉ. निशिकान्त दुबेः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवैध रूप से अश्लील और यौन संबंधी सामग्री के प्रसारण की जांच करने के लिए मौजूदा तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त कानून इन प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिक प्रभावी नहीं है, मौजूदा कानूनों को और अधिक कठोर बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) और (ख): सरकार की नीतियों का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों सहित इसके उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत में इंटरनेट किसी भी प्रकार की गैरकानूनी सामग्री या सूचना, विशेष रूप से अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री से मुक्त हो।

<u>डिजिटल प्लेटफार्मों पर गैरकानूनी सामग्री से निपटने के लिए कानूनी ढांचा</u>

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000

आईटी अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) ने मिलकर डिजिटल क्षेत्र में गैरकानूनी और हानिकारक सामग्री से निपटने के लिए एक कठोर ढांचा तैयार किया है।

यह जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थों पर स्पष्ट दायित्व डालता है।

आईटी अधिनियम विभिन्न साइबर अपराधों जैसे गोपनीयता उल्लंघन (धारा 66ई), अश्लील या कामुकता व्यक्त करने वाली सामग्री प्रकाशित करना या प्रसारित करना (धारा 67, 67ए, 67बी) के लिए दंड का प्रावधान करता है।

यह पुलिस को अपराधों की जांच करने (धारा 78), सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने और संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेने और उसे गिरफ्तार करने (धारा 80) का अधिकार भी देता है।

आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021

आईटी नियम, 2021 सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर उचित सावधानी बरतने का दायित्व डालते हैं और उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वे गैरकानूनी सामग्री की होस्टिंग या प्रसारण को रोकने के लिए इन दायित्वों को प्रभावी ढंग से लागू करें।

आईटी नियम, 2021 के तहत प्रमुख प्रावधान:

प्रावधान	**विवरण**
नियम 3(1)(बी) के अंतर्गत प्रतिबंधित जानकारी	ऐसी जानकारी/सामग्री की होस्टिंग, स्टोरिंग, प्रसारण, प्रदर्शन या प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाना जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हो:- • अश्लील, पोर्नोग्राफिक, किसी दूसरे की निजता का उल्लंघन करने वाली, लिंग के आधार पर अपमानजनक या उत्पीड़न करने वाली, नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तिजनक, या घृणा या हिंसा को बढ़ावा देने वाली; • बच्चों के लिए हानिकारक; • डीपफेक के माध्यम सहित धोखा देने या गुमराह करने वाली; • कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित अन्य लोगों को (इम्पर्सोनेट) करती है; • राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाती है, • किसी भी कानून का उल्लंघन करती है।

उपयोगकर्ता जागरूकता दायित्व	मध्यस्थों को सेवा की शर्तों और उपयोगकर्ता समझौतों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को गैरकानूनी सामग्री साझा करने के परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए, जिसमें सामग्री को हटाना, खाते को निलंबित करना या समाप्त करना शामिल है।
कंटेंट हटाने में जवाबदेही	मध्यस्थों को अदालती आदेशों, सरकार से प्राप्त तर्कसंगत सूचना या उपयोगकर्ता की शिकायतों पर निर्धारित समयसीमा के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई करनी चाहिए।
शिकायत निवारण	• मध्यस्थों द्वारा शिकायत अधिकारी नियुक्त करना • गैरकानूनी सामग्री को 72 घंटों के भीतर हटाकर शिकायतों का समाधान करने का अधिदेश • निजता का उल्लंघन करने वाली, व्यक्तियों का रूप धारण करने वाली या नग्नता दिखाने वाली सामग्री को ऐसी किसी भी शिकायत के खिलाफ 24 घंटों के भीतर हटा दिया जाना चाहिए।
शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) तंत्र	यदि मध्यस्थों के शिकायत अधिकारी उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का समाधान नहीं करते हैं, तो उपयोगकर्ता www.gac.gov.in पर ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। जीएसी सामग्री मॉडरेशन संबंधी निर्णयों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
सरकारी एजेंसियों को मध्यस्थों द्वारा सहायता	मध्यस्थों द्वारा पहचान सत्यापन के लिए, या साइबर सुरक्षा घटनाओं सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच या अभियोजन के लिए अधिकृत सरकारी एजेंसियों को अपने नियंत्रणाधीन उपलब्ध मौजूद जानकारी या सहायता अवश्य प्रदान करनी चाहिए।

महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (एसएसएमआई) के अतिरिक्त दायित्व (अर्थात ऐसे सोशल मीडिया मध्यस्थ जिनके भारत में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 लाख या उससे अधिक हैं।)	• संदेश भेजने की सेवाएं प्रदान करने वाले एसएसएमआई द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गंभीर या संवेदनशील सामग्री के मूल स्रोत का पता लगाने में मदद करना। • एसएसएमआई द्वारा गैरकानूनी सामग्री के प्रसार का पता लगाने और उसे सीमित करने के लिए ऑटोमेटिड टूल्स का उपयोग करना। • एसएसएमआई द्वारा अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना, स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति करना और अनुपालन एवं कानून प्रवर्तन समन्वय के लिए भारत में स्थित भौतिक पता साझा करना। • एसएसएमआई द्वारा स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन, आंतरिक अपील और स्वतः संज्ञान लेने से पहले निष्पक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करना।

यदि मध्यस्थ आईटी नियम, 2021 में दिए गए कानूनी दायित्वों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उन्हें प्रदत्त तृतीय पक्ष सूचना से छूट को खो देते हैं।

वे किसी भी प्रचलित कानून के तहत यथा प्रावधित परिणामी कार्रवाई या अभियोजन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023

बीएनएस, 2023 ऑनलाइन नुकसान, अश्लीलता, गलत सूचना और अन्य साइबर-सक्षम अपराधों, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से किए गए अपराध भी शामिल हैं, से निपटने के लिए कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करती है,

- यह अश्लील कृत्यों (धारा 296), अश्लील सामग्री की बिक्री, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी सामग्री का प्रदर्शन भी शामिल है (धारा 294) जैसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है।

इसी प्रकार, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हानिकारक सामग्री के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।

- नियमों के भाग-III में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है।
- ओटीटी प्लेटफॉर्मों का यह दायित्व है कि वे ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित न करें जो वर्तमान में लागू कानून द्वारा प्रतिबंधित है।
- सरकार ने अब तक अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने वाले 43 ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए भारत में सार्वजनिक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है।

****